

सं० सं०-टी-3/भवन-12/2011-.....493/

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना।

प्रेषक,

उप सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

/प ट ना, दिनांक-20/08/2017

विषय:-

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जमुई के प्रशासनिक भवन, कर्मशाला भवन, स्टाफ हॉस्टल, प्राचार्य आवास, स्थल विकास एवं चहारदीवारी के निर्माण कार्य हेतु पूर्व में कुल राशि ₹० 5,89,00,000/- (पाँच करोड़ नवासी लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में दी गई। 13वें वित्त आयोग के कार्यकाल समाप्ति के पश्चात् अवशेष राशि 27,35,000/- (सत्ताईस लाख पैंतीस हजार) मात्र के संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जमुई के भवन निर्माण हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1432, दिनांक 31.05.2011 एवं शुद्धि पत्र संख्या-1354, दिनांक 04.05.2012 द्वारा कुल राशि ₹० 5,89,00,000/- (पाँच करोड़ नवासी लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में मुख्य शीर्ष 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष 60-अन्य भवन, लघु शीर्ष 051-निर्माण, माँग संख्या-3, उप शीर्ष-0113 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण (वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में) विपत्र कोड-P4059600510113, राज्य योजना स्कीम कोड BUI-5580 से व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई थी। परन्तु 13वें वित्त आयोग के कार्यकाल समाप्ति के पश्चात् अवशेष राशि 27,35,000/- (सत्ताईस लाख पैंतीस हजार) मात्र के संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति राज्य योजनान्तर्गत प्रदान की जाती है।

- 2- इस राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष 60-अन्य भवन, लघु शीर्ष 051-निर्माण, माँग संख्या-3, उप शीर्ष-0112 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण/पुनर्निर्माण/उन्नयन, विपत्र कोड-P4059600510112, राज्य योजना स्कीम कोड BUI-5579 के विषय शीर्ष-5301 मुख्य निर्माण कार्य से वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु प्रावधानित राशि ₹० 5700.00 लाख से की जायेगी। इस राशि के व्यय में वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक- 17-04-1998 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- 3- इस राशि की निकासी भवन निर्माण विभाग द्वारा प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी प्रधान सचिव/सचिव भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना होंगे।
- 4- इस राशि की निकासी जिला कोषागार, जमुई से की जायेगी।
- 5- कार्य का भौतिक, वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग के माध्यम से महालेखाकार एवं निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण को मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक रूप में समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 6- संचिका संख्या- टी-3/भवन-12/2011 के पृष्ठ-38/टि० पर विभागीय प्रधान सचिव का प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव तथा पृष्ठ-38/टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

उप सचिव,
श्रम संसाधन विभाग


ज्ञापांक- टी-3/भवन-12/2011-.....493..... /प ट ना, दिनांक- 20 / 02 / 2017

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के सचिव/ प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उप सचिव
श्रम संसाधन विभाग

ज्ञापांक- टी-3/भवन-12/2011-.....493..... /प ट ना, दिनांक- 20 / 02 / 2017

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ प्रमण्डलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर/जिला पदाधिकारी, जमुई /जिला कोषागार पदाधिकारी, जमुई/कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमण्डल, जमुई /मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जमुई /मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उप सचिव,
श्रम संसाधन विभाग